न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 09/2018

हवासिंह पुत्र घीसराम, जाति गुर्जर, निवासी रोजड़ा पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2017
बअदालत तहसीलदार खेतड़ी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हवा सिंह
मु.न. 52/2017, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थिति:–

1 .श्री संदीप सैनी , एडवोकेट ——— ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 08.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हवा सिंह मु.न. 54/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है और बिना किसी सबूत व साक्ष्य के मनमाना आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट को बिना किसी सुनवाई के अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने की एक तरफा कार्यवाही गलत रूप से की है। अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरोधियों से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। अपीलांट ने न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र व फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये है कि वहां पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। रास्ता साफ है और नायब तहसीलदार खेतड़ी ने स्वयं मौके की जांच न कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की दोषसिद्धि कायम कर दी जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पुनरावृति अतिक्रमण के आधार पर दोष सिद्धि मानकर सिविल कारावास की सजा की है। जब कि पूर्व में अतिक्रमण व पश्चातवर्ती अतिक्रमण

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

की जांच स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा की जाकर पत्रावली पर साक्ष्य एकत्रित की जाकर ही अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास का आदेश पारित किया जा सकता था। परन्तु विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुये आदेश दिनांक 15.12.2017 पारित करने की कानूनी भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है और बिना किसी सबूत व साक्ष्य के मनमाना आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट को बिना किसी सुनवाई के अतिकमियों को बेदखल किये जाने की एक तरफा कार्यवाही गलत रूप से की है। अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं किया पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरोधियों से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। अपीलांट ने न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र व फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये है कि वहां पर अपीलांट का कोई अतिकमण नहीं है। रास्ता साफ है और नायब तहसीलदार खेतड़ी ने स्वयं मौके की जांच न कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की दोषसिद्धि कायम कर दी जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पुनरावृति अतिकमण के आधार पर दोष सिद्धि मानकर सिविल कारावास की सजा की है। जब कि पूर्व में अतिकमण व पश्चातवर्ती अतिकमण की जांच स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा की जाकर पत्रावली पर साक्ष्य एकत्रित की जाकर ही अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास का आदेश पारित किया जा सकता था। परन्तु विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुये आदेश दिनांक 15.12.2017 पारित करने की कानूनी भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम राजोड़ा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 855/828 किस्म गै0 मु0 बणी के रकबा 50 वर्ग मीटर में छड़ी व रूड़ी डालकर अतिकमण करने पर दिनांक 20.7.2017 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिकमण किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी मान्दरी की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम राजोड़ा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 855/828 किस्म गै0 मु0 बणी के रकबा 50 वर्ग मीटर में छड़ी व रूड़ी डालकर अतिक्रमण करने पर दिनांक 20.7.2017 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय या अपील के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैद्य साबित होता हो। अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका रास्ते की भूमि पर अब किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और भविष्य में भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। मौके पर रास्ता बिल्कुल साफ है और पूर्ण रूप से चालू है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित **आदेश 15.12.2017 में गैर सायल को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है, सजा के बिन्दू निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा।** मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं